न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 467/2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

अनवान

1. मांगीलाल पुत्र किशना जाट
2. भैरूलाल पुत्र कालुराम टेलर
3. मुकेश पुत्र बालुराम टेलर
4. संदीप पुत्र बालुराम टेलर
5. भावना पुत्री बालुराम टेलर
6. सीता पत्नि बालुराम टेलर
7. शंकर पुत्र रामा टेलर
8. रतन पुत्र दलीचन्द जाट
9. चुन्नी विधवा दलीचन्द जाट
10. सुरेश पुत्र भैरूलाल जाट
11. सीता पुत्री भैरूलाल जाट
12. रूकमण पत्नि भैरूलाल जाट
13. चांदी विधवा हेमा जाट
14. नानी पुत्री हेमा जाट
15. सन्तोक पुत्री हेमा जाट

सर्व निवासीयान अड़सीपुरा, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहन पिता हीरालाल जाट
2. मु0 अलोल बेवा हीरालाल जाट (डिलिट)

सर्व निवासीयान अड़सीपुरा, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांकः–.....

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि बैरून हल्का आबादी मौजा अड़सीपुरा तहसील सहाड़ा की सरहद में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार का एक पुश्तैनी चाह संख्या 1884 रकबा 0.03 हे0 नीमडी वाला स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त चाह पर आने जाने का रास्ता अड़सीपुरा गांव से आमली बागौर जाने वाली आम सड़क से पहले रास्ते की आराजी संख्या 1896 से होते हुए आगे विपक्षीगण की आराजी संख्याय 1878 रकबा 0.47 हे0 जिसे संलग्न नजरी नक्शे में ऐ से बी मार्क किया गया हैं से होते हुए आराजी चाह संख्या 1879 के पश्चिम तरफ होते हुए आगे आराजी संख्या 1880 के पश्चिम तरफ होते हुए प्रार्थीगण अपने चाह संख्या 1884 रकबा 0.03 हे0 के फेरे तक चला जाता है और फिर चाह का खड़ा आ जाता हैं इस रास्ते के जरिये प्रार्थीगण ने अपने कुएं के समीप खेतों में खरीफ की फसल बुवाई करवाई है प्रार्थीगण के खेतों में अभी भी फसल खड़ी है। संलग्न नजरी नक्शे में ए स्थान पर रास्ते की जमीन में तारों की फेन्सिंग करके प्रार्थीगण का रास्ता विपक्षीगण ने करीब 5 माह पूर्व बंद कर दिया है एवं रास्ते की जमीन में भी इस वर्ष मक्की की बुवाई कर दी हैं, जबकि बी स्थान से दक्षिण तरफ रास्ता आराजी संख्या 1879 व 1880 में वर्तमान में भी खुला हुआ है विपक्षीगण ने जबरन दिनांक 23.02.2018 को आराजी संख्या 1878 में स्थित रास्ते को बंद कर

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

दिया है। प्रार्थीगण मांगीलाल तथा रतन व श्रीमती चुन्नी ने अपने – अपने खेतों की पिलाई करने के लिए ग्राम अड़सीपुरा की नदी में कुएं खुदवाये जिसके सिमेन्टेड पाईप नदी में स्थित कुओं से चाह संख्या 1884 तक जा रहे है जिन्हें भी विपक्षीगण ने जेसीबी से जगह – जगह तोड़ दिये हैं जिससे पानी भी आना जाना बंद हो गया है। विपक्षीगण ने संलग्न नजरी नक्शे में ए से बी के मध्य करीब 50 फिट की दुरी तक रास्ते को रोक दिया है। विपक्षीगण द्वरा अवरोध किये गये 50 फिट लम्बाई व करीब 20 फिट चौड़ाई के रास्ते को नजरी नक्शे में सुर्खी से प्रदर्शित किया जा रहा है प्रार्थीगण को अपने चाह व चाह के पास स्थित खेतों पर गाडी, संज बैल, ट्रेक्टर आदि से आने जाने के लिए नजरी नक्शे में दर्शित ए से बी के मध्य वाले रास्ते के अलावा ओर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थीगणा का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम अड़सीपुरा की आराजी संख्या 1878 रकबा 0.47 हे0 में से 20 फिट चौड़ाई व 50 फिट लम्बाई का नजरी नक्शे में दर्शित ए से बी रास्ताा कायम करने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए यह आवेदन रास्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की (धारा 1) के तहत प्रस्तुत है।

अतः सादर प्रार्थना है कि रास्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की (धारा 1) के तहत ग्राम अड़सीपुरा , तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) में स्थित प्रार्थीगण की आराजी चाह संख्या 1884 रकबा 0.03 हे0 पर आने जाने हेतु ग्राम अड़सीपुरा में स्थित विपक्षीगण की आराजी संख्या 1878 रकबा 0.47 हे0 में विद्यमान इस आवेदन पत्र के साक्ष संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से प्रदर्शित 20 फिट चौड़ाई व 50 फिट लम्बाई रास्ता जिसे ए से बी से मार्क किया गया है दिलाने का आदेश प्रदान करावें एवं उक्त कायम किये गये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए प्रार्थीगण सदैव तैयार है। आराजी संख्या 1878 में स्थित उक्त रास्ते की जगह में विपक्षीगण द्वारा किये गये अवरोध को भी हटाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रा. पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10.09.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण नं. 02 की मृत्यु हो जाने का प्रा0 पत्र दिनांक 29.10.2019 को प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षीया अलोल का पुत्र मोहन पहले से ही प्रकरण में पक्षकार है जिससे मृतका के कायम मुकाम बनाने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना है कि मृतका विपक्षीया संख्या 02 श्रीमती अलोल विधवा हीरा जाट निवासी अड़सीपुरा का नाम उक्त प्रकरण में डिलीट फरमाया जावे।

प्रा0पत्र दिनांक 29.10.2019 पर बहस उभय पक्ष सुनी गई बाद बहस प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाता है चूंकि मृतका के कायम मुकाम पहले से ही प्रकरण में पक्षकार होने से मृतका विपक्षीया संख्या 02 श्रीमती अलोल विधवा हीरा जाट निवासी अड़सीपुरा का नाम लाल स्याही से डिलीट किये जाने का आदेश दिया जाता है।

विपक्षी सं0 1 द्वारा जवाब पेश किया जिसके अनुसार

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में अंकित कथन अस्वीकार है। प्रार्थीगण की आराजी चाह संख्या 1884 पर प्रार्थीगण द्वारा कभी भी विपक्षी की आराजी संख्या 1878 में से होकर आराजी चाह संख्या 1897 के पश्चिम तरफ से होते हुए आवागमन नहीं किया बल्कि प्रार्थीगण ग्राम अड़सीपुरा से गंगापुर आने वाली पक्की सड़क से गुजर रहे झड़ोल जाने वाली कच्ची सड़क से सटमा प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1871, 1872, 1882, 1869, 1870, 1885 मे से होकर आवागमन काफी समय से किया जा रहा है और आज भी कर रहे है। प्रमाण में जमाबंदिया व नक्शा ट्रेस की प्रतियां पेश है।

अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

विपक्षी का यह भी निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा ताकत के बल पर विपक्षी के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 1878, 1892 मे से जबरन नवीन रास्ता कायम करने के दुराशय से दिनांक 25.02.2018 को विपक्षी की उक्त आराजियात में से आवागमन करने का असफल भरसक प्रयास किया तथा विपक्षी को यह भी धमकी दी कि हम किसी भी किमत में आवागमन करके रहेगे। जिसको लेकर विपक्षी ने उक्त प्रकरण से पूर्व प्रार्थीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0ए0 व प्रा0प0 अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 के तहत प्रस्तुत किया जिनके प्रकण संख्या 46/2018 रे0वाद व 40/2018 मु0रे0 होकर वर्तमान में प्रार्थीगण के विरूद्ध आपके न्यायालय में विचाराधिन है। इस प्रकार प्रार्थीगण आराजी चाह संख्या 1884 में सदैवा से आवागमन अपनी खातेदारी की आराजी संख्या 1871 , 1872, 1882, 1869, 1870, 1885 मे से होकर निरन्तर करते चले आ रहे है। जिससे प्रार्थीगण मुझ विपक्षी की आराजी संख्या 1878 में से कोई नवीन रासता कायम कराने के अधिकारी नहीं है।

यह कि प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी की आराजी संख्या 1871, 1872, 1882, 1869, 1870, 1885 में से होकर आवागमन का रास्ता मौके पर विद्यमान है जिससे प्रार्थीगण मुझ विपक्षी की आराजी संख्या 1878 में से होकर आवागमन का रास्ता कायम कराने का अधिकारी नहीं है। अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें। पेरोकार सरकार उपस्थित। तथा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 17.10.2019 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

मौका पर्चा अनुसारः– वादग्रस्त भूमि ग्राम अड़सीपुरा के आराजी नं0 1878 के सबंध में **बिन्दुवार जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है–**

यह कि उक्त आराजी नं0 1878 में कोई रास्ता वना हुआ नहीं है।

यह कि मौके पर आराजी नं0 1878 में रास्ता बंद है ।

यह कि मौके पर उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है।

यह कि उक्त रास्ते में आराजी नं0 1878 एवं आराजी नं0 1888 आते है। तथा आराजी नं0 1878 में से 0.02 हे0 तथा आराजी नं0 1888 में से 0.01 हे0 भूमि रास्ते हेतु प्रभावित होती है।

यह कि वर्तमान में आराजी नं0 1896 रकबा 0.07 हे0 में रास्ता चालु है।

यह कि आराजी नं0 1878 में रास्ता मौके पर बंद कर रखा है जिसे नक्शा ट्रेस में हरी स्याही से दर्शाया गया है।

यह कि आराजी नं0 1888 में रास्ता लाल स्याही से दर्शाया गया है वहां रास्ता चालू है।

यह कि उक्त आराजी में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

उक्त मौका रिपोर्ट पर उभयपक्ष को सुना गया । असहमत होने एवं पुनः मौका रिपोर्ट हेतु निवेदन किया । तहसीलदार सहाड़ा से पुनः दिनांक 11.11.2019 को पेश की गई जिसके अनुसारः–

वादग्रस्त भूमि ग्राम चीड़खेड़ा के आराजी नं0 1878 की मौका अनुसार पुनः जांच की गई प्रार्थी मांगीलाल पिता किशना जाट के आराजी नं0 1884 में पहुंचने के लिए अराजी नं0 1878 के अलावा आराजी नं0 1972 खेतो के दक्षिण तरफ रास्ते से लगता हुआ आराजी नं0 1869 , 1870, 1885 स्थित है जो प्रार्थी के स्वयं के नाम सहखातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी नम्बर से होकर आराजी नं0 1884 में पहुचा जा सकता है। आराजी नं0 1878 से पहुंचने के लिए सीधी दूरी 60 मीटर है। एवं प्रार्थी के सहखातेदारी आराजी नं0 1869, 1870 व 1885 में से होकर जाने के लिए 600 मीटर दूरी है।

उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 11.11.2019 पर प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रा0पत्र पेश कर पुनः मौका रिपोर्ट तलब हेतु निवेदन किया जिसका अवलोकन किया गया एवं अस्विकार किया जाता है।

Scanned by CamScanner

वर वक्त सुनवाई प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण व पेरोकार सरकार को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया ।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण एवं विपक्षी व पेरोकार सरकार द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एवं जवाब पर गहनता से मनन किया। ग्राम चीड़खेड़ा के आराजी नं0 1878 की मौका अनुसार पुनः जांच की गई प्रार्थी मांगीलाल पिता किशना जाट के आराजी नं0 1884 में पहुंचने के लिए अराजी नं0 1878 के अलावा आराजी नं0 1972 खेतो के दक्षिण तरफ रास्ते से लगता हुआ आराजी नं0 1869 , 1870, 1885 स्थित है जो प्रार्थी के स्वयं के नाम सहखातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी नम्बर से होकर आराजी नं0 1884 में पहुंचा जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर टी एक्ट का अस्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए का पोषनीय नहीं होने से खारिज किया किया जाता है। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 3.1.20 मेंरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

4.

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2020.01.03 16:13:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: